



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-590 राँची, सोमवार,

29 नवम्बर, 2021 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2021

विषय: उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों से संबंधित अधिसूचित नियमावली में संशोधन ।

संख्या-01/उ०नि०/रोस्टरक्ली०-01/2010 खण्ड-1-1167--"भारत की संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड, राज्य के उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय अन्तर्गत गठित झारखण्ड उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2014 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

i. यह नियमावली झारखण्ड उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग (संशोधित) नियमावली, 2021 कहलाएगी ।

ii. इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

iii. यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखण्ड उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली-2014 के कंडिका-9 (प) में निम्नलिखित प्रावधान हैं-

(ii) "शैक्षणिक योग्यता-सेवा/संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

केमिकल, मेकनीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटालर्जी में से किसी एक में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०टेक०/बी०ई० डिग्री या समकक्ष।

अथवा

बी०ए० की डिग्री अर्थशास्त्र विषय के साथ, बी०एस०सी० की डिग्री गणित या सांख्यिकी या पर्यावरण या फुडटेक्नोलॉजी या नैनोटेक्नोलॉजी विषय के साथ, बी०एस०सी०-रेशम/कृषि/वानिकी/वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड से मलवरी/नन मलवरी में 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (PGDS), बी०कॉम० डिग्री, चार्टर्ड एकाउन्टेंट (ICIAI) कास्ट एकाउन्टेंसी (ICWA), व्यापार प्रबंधन में स्नातक डिग्री, बी०सी०ए०, बी०टेक० (टेक्सटाईल) में से किसी एक में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक बी०ए० (अर्थशास्त्र) या बी०एस०सी० की डिग्री गणित या सांख्यिकी के साथ या बी०कॉम० डिग्री/बी०टेक०/बी०ई० डिग्री या समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक में डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडियट/10\$2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडियट/10\$2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

3. झारखण्ड उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली-2014 (अधिसूचना संख्या-1154 दिनांक-18.09.2014) के अन्य प्रावधान हू-ब-हू लागू रहेंगे एवं इस नियमावली के प्रावधान उक्त नियमावली के साथ संशोधित रूप में अध्यारोही प्रभाव (Overriding effects) के साथ लागू होंगे।

4. विभागीय संलेख जापांक-1119 दिनांक-12.11.2021 द्वारा झारखण्ड उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग (संशोधित) नियमावली, 2021 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-12.11.2021 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-32 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव।
